U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
9वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या – 928,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या : सचिव / उनिलि / विनियम 2000 / 1683 दिनांक: 25.06.2019

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 07.07.1999 को अधिसूचित उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम–1999 की धारा–1 की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 14.01.2000 से उ0प्र0 शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना सं0–148–पी–1 / 2000 दिनांक 14.01.2000 से उक्त अधिनियम प्रवृत्त हो गया। तद्नुसार अधिसूचना सं0–149–पी–1 / 2000–24 दिनांक 14.01.2000 से उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम लागू हो गयी। इस अन्तरण स्कीम की धारा–6 (10) के निम्नांकित प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0–सचिव / उनिलि / 151 दिनांक 18.02.2000 द्वारा कुछ विनियमावलियों / शासनादेशों की सूची इंगित करते हुए यह प्राविधानित किया गया कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा शर्ते सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में विनियम बनाये जाने तक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा अपने अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु पूर्व में बनाये गये विनियम (अद्यतन संशोधित) एवं तत्सम्बन्धी जारी प्रशासनिक आदेश निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु आवश्यक परिवर्तनों सहित (Mutatis Mutandis) लागू माने जायेगें।

धारा–6 (10) :

"Subject to the provisions of the Act and the Scheme, the Transferee shall frame regulations governing the conditions of service of personal transferred in the Transferee under this scheme and till such time, the existing service conditions of the Board shall mutatis-mutandis apply"

2. निगम के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0– सचिव / उनिलि / 151 दिनांक 18.02.2000 में दी गयी सूची में यद्यपि कुछ नियमावलियों / शासनादेशों का उल्लेख नहीं किया गया था तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे उक्त अन्तरण स्कीम की धारा–6(10) के अन्तर्गत आवरित एवं प्रभावी नहीं है। वर्तमान में इसी भ्रम की स्थिति के कारण अधिकारियों / कर्मचारियों के कुछ सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जबकि उक्त अन्तरण स्कीम की धारा 6(10) के प्राविधान पूर्णतया स्पष्ट है एवं इस सम्बन्ध में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।

3. उपरोक्त स्थिति उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल के समक्ष उनकी दिनांक 31.05.2019 को सम्पन्न हुई 181 वीं बैठक की मद सं0–181.13 पर प्रस्तुत की गयी जिस पर सम्यक

Regd. Office : Shakti Bhawan Extn. 14-Ashok Marg, Lucknow 226 001
Phone (0522) -2287559, fax (0522)-2287555,Shakti Bhawan -(0522) 2287701 Extn. 8568

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
9वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या – 928,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001
CIN: U40101UP1980SGC005065

विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाये:–

181.13/2019

"निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0–सचिव/उनिलि/151 दि0 18.02.2000 के अनुक्रम में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम की धारा–6(10) के प्राविधानों के अनुसार इस कार्यालय ज्ञाप में इंगित विभिन्न विनियमावलियों के अतिरिक्त पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद तथा शासन की अन्य विनियमावलियाँ यथा (1) उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 (2)सी0एस0आर0 का अनुच्छेद–351ए (3) एफ0एच0बी0 के सभी वाल्युम एवं (4) शासन द्वारा तत्समय प्रख्यापित एवं प्रभावी अन्य विनियमावलियाँ भी निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0–सचिव/उनिलि/151 दिनांक 18.02.2000 से Mutatis Mutandis लागू, आवरित एवं प्रभावी मानी जायेगीं"।

4. निदेशक मण्डल के उपरोक्त प्रस्तर–3 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

अध्यक्ष

संख्या : सचिव/उनिलि/विनियम 2000/1683 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेश, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त पूर्णकालिक निदेशकगण उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
5. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह।
6. मुख्य अभियन्ता, मानव संसाधन/रिफार्म/प्रगति, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
7. मुख्य महाप्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक (वित्त) शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
8. मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
9. कट फाइल।

प्रदीप सोनी
कम्पनी सचिव

Regd. Office : Shakti Bhawan Extn. 14-Ashok Marg, Lucknow 226 001
Phone (0522) -2287559, fax (0522)-2287555, Shakti Bhawan –(0522) 2287701 Extn. 8568

4